फ़र्द अहकाम

सिटी फिनटेक बनाम रनेच व अन्य

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर

संख्या 57/2024 (टी.आई.)

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
27/05/25	पत्रावली वास्ते बहस प्रार्थनापत्र टी.आई. दिनांक 28/05/25 को पेश हो। सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर	
28/05/25	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्तागण उभयपक्ष उपस्थित। निरन्तर अवसरों उपरान्त भी बहस प्रा.पत्र टी.आई. प्रस्तुत नहीं करते हुए अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा आज भी अवसर चाहा गया है। पर्याप्त अवसर दिए जा चुके हैं अवसर बहस समाप्त किया जाता है। अधिवक्ता प्रार्थी की पुनः बहस प्रार्थनापत्र टी.आई. पर सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में कथन किया गया है कि मिन प्रार्थी की ओर से उल्लेखित वादग्रस्त भूमि के संदर्भ में पक्षकारान के निहित हिस्सानुसार विधिवत विभाजन का वाद प्रस्तुत किया गया है जो लम्बित है। उल्लेखित वादग्रस्त भूमि में मिन प्रार्थी का अविभाजित 1/2 हिस्सा तथा अप्रार्थीगण का भी अविभाजित 1/2 हिस्सा निहित है। अप्रार्थीगण उक्त भूमि के विधिवत विभाजन के अभाव में ही भूमि को विक्रय, हस्तांतरण करने पर आमादा है तथा प्रार्थी को भूमि से बेदखल कर विशिष्ट भू भाग पर कॉलोनी काटने पर आमादा है। इसी आशय से अप्रार्थीगण की ओर से प्रार्थी के कब्जे वा[illegible] की जा रही है। अप्रार्थीगण की [illegible] मूलवाद का जवाब [illegible] कर अपना विशिष्ट [illegible] अभिकथन करते हुए कब्जा-काश्त [illegible] भूमि का विभाजन किए जाने का अनुतोष	

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर

P.T.O.

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Laxmi Narayan Bunker
Date: 2025.08.20 13:14:32 IST
Reason: SelfAttested

फर्द अहकाम

सिटी बिल्डटेक बनाम रनीच व अन्य

नाम न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर

केस संख्या 57/2024 (टी.आई.)

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	28/05/25	चाहा गया है। तथा साथ ही स्वयं अप्रार्थीगण की ओर से काउन्टर टी.आई. प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर मौका व रिकॉर्ड की यथास्थिति कायम रखे जाने का अनुतोष चाहा गया है जिसके संदर्भ में पूर्व से ही न्यायालय हाजा द्वारा पारित अन्तरिम स्थगन आदेश प्रभावी भी है। जिसके बाबत भिन्न प्रार्थी को भी कोई उज्र आपत्ति नहीं है तथा न्यायहित व वाद बहुलता के टालने हेतु भी मौका व रिकॉर्ड की यथास्थिति कायम रखा जाना आवश्यक है। अतः न्यायालय हाजा के पूर्व अन्तरिम स्थगन आदेश दिनांक 25.11.24 को ताफैसला मूलवाद स्थाई कायम रखा जावे। अप्रार्थीगण को बहस हेतु [illegible] अवसर दिए जाने के उपरान्त भी अप्रार्थीगण की ओर से बहस प्रस्तुत नहीं की जाने पर अवसर बहस अप्रार्थीगण बंद किया जाकर अप्रार्थीगण के प्रस्तुत जवाब प्रा.पत्र टी.आई. व काउन्टर प्रार्थनापत्र टी.आई. का अवलोकन किया गया। अप्रार्थीगण के प्रस्तुत जवाब प्रा.पत्र टी.आई. व काउन्टर प्रार्थनापत्र टी.आई. के तथ्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट हुआ है कि स्वयं अप्रार्थीगण की ओर से भी जरिये काउन्टर प्रा.पत्र टी.आई. मौका व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति का अनुतोष चाहा गया है। जिस संदर्भ में पूर्व से ही न्यायालय हाजा का अन्तरिम स्थगन आदेश प्रभावी है। जिसके बाबत अप्रार्थीगण द्वारा कोई उज्र आपत्ति भी व्यक्त नहीं की गई है अतः न्यायहित व वाद बहुलता के टालने हेतु पूर्व अन्तरिम स्थगन आदेश दिनांक 25.11.24 को ताफैसला मूलवाद स्थाई किया जाकर अप्रार्थीगण को मूलवाद के फैसला तक (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर

फर्द अहकाम

सिटी बिल्डटेक बनाम रनीच व अन्य

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर

संख्या 57/2024 (टी.आई.)

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
28/5/25	जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा के पाबन्द किया जाता है कि वे वाके ग्राम जुगलपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर स्थित वाद अधीन भूमि आ.ख.नं. 575 रकबा 1.20 हे. की मौका व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति कायम रखें। निर्णय सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो। बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Laxmi Narayan Bunker
Date: 2025.08.20 13:14:32 IST
Reason: SelfAttested